


29.7.19 पत्तवली प्रेशां पूर्व सुवाइ डिवांक को
अपिलेशन को दोर से को L.R. पुनिरा अधिवक्ता
का 21 अकालतवाणा प्रेश किना गया जो थंलवा
पत्तवली ही मूल राना. उपर हो गया है इत.
पत्तवली वास्ते वहर डिवांक 14-8-19 को प्रेश हे

डिविजनल कमिश्नर

14/8/19

बहुलाय फारिकेन उदर/ वहर उमर
पक्ष बुनी गई/ रेस्वोइन्ट सं. 345 के



अधिकतम का कपन है कि यह
नायब तहसीलदार आधेर का
लिपे गये नामान्तरकरण सं. 199
के लिखत मस्तुत की है। अतः अतः
ज्यायालय दाला में घोषणीय नथ है कि
क्षेत्राधीकार में नथ आती है क्योंकि
धारा 75 L.R. ACT के तहत नायब तहसीलदार
जो कि तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करत हुए उमर नामान्तरकरण की

जाना 1998 20 11 11 0012 1998 4 1998 1998 94 1 11

0.04 हैक्टर कुल रकबा 0.16 हैक्टर 04 मीटर चौड़ाई में रास्ते के
प्रयोजनार्थ संबंधित खातेदारान की खातेदारी से कम किया जाकर


महमी कवर


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम को तामील
में जारी हुए

की कार्यवाही समाप्त करे करता हूँ इसकी
अपील धारा 75 (1) के तहत कालेक्टर
को भी जाती है। आधिकार्य अपीलान्ट
ने भी इसे स्वीकार कर अपील पुनः
लौटाने की प्रार्थना की। जिसे स्वीकार
की जाकर अपीलान्ट को अपील
दौखाधीकार के अभाव में लौटाई जाती
है। फिलहाल दुकान बंद नम्बर के काम
हो।


डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर


जोधपुर

